न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 35/2019

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. भाकरराम पुत्र अन्नाराम 2. लिखमाराम पुत्र अन्नाराम जातियान जाट (भीरड़ा) निवासी ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. मोतीराम पुत्र सेणाराम 2. भीयाराम पुत्र सेणाराम 3. कुनाराम पुत्र सेणाराम 4. अमराराम पुत्र रूपाराम 5. जोगाराम पुत्र रूपाराम 6. छोटूराम पुत्र रूपाराम 7. गोपाराम पुत्र मांगीलाल 8. रामुराम पुत्र मांगीलाल जातियान जाट (भीरड़ा) निवासीगण कालाऊना तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 9. धापूदेवी पत्नी बगदाराम जाति जाट (भीरड़ा) निवासी ग्राम भगासनी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :– वादीगण की ओर से श्री बीरमराम विश्नोई, एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 2 से 9 की ओर से श्री जी.एल. कंसारा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 10 सरकारी पैरोकार

<u>निर्णय</u> **दिनांक** :– 02/01/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के एक ही पूर्वज भोराराम के वारिसान है जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य द्वारा अपना जीवनयापन करते है। प्रतिवादी संख्या 9 सहखातेदार होने से प्रतिवादी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की सयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्त की कृशि भूमि वाके ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा की सरहद में खाता संख्या 351 के खसरा नम्बर 8 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 9 रकबा 16 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 10 रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 12 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 13 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 14 रकबा 20 बीघा, खसरा नम्बर 15 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 27 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 8 कुल रकबा 97 बीघा 03 बिस्वा आयी हुयी है। इसी प्रकार ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 352 के

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा नम्बर 11 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 16 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 17 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 18 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 49 बीघा 05 बिस्वा आयी हुयी है। इसी प्रकार ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 6 के खसरा नम्बर 48/1 रकबा 2 बीघा किस्म गै.मु. बाड़ा आयी हुयी है। वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने सामुहिक रूप से मिलकर जबरन बेदखल करने की नियत से वादग्रस्त आराजी के अपने हक व हिस्से की भूमि में कृशि कार्य हेतु आने-जाने में आये दिन रूकावटे कारित करते है एवं उक्त उनके हक व हिस्से से महरूम करने की नियत से आये दिन धमकिये दिये जाने से परेशान होकर उक्त वादपत्र वादीगण को विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के बाबत् भू-विभाजन का एवं जारी करने स्थायी निशेधाज्ञा का वादपत्र न्यायालय श्री में पेश करना पड़ रहा है।

अन्त में निवेदन किया कि उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण की खातेदारी में अलग से दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वो वादीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे व न अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 11.11.2020 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 351 के खसरा नम्बर 8 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 9 रकबा 16 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 10 रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 13 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 14 रकबा 20 बीघा, खसरा नम्बर 15 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 27 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 8 कुल रकबा 97 बीघा 03 बिस्वा तथा ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 352 के खसरा नम्बर 11 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 16 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 17 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 18 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 49 बीघा 05 बिस्वा का वादीगण का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	भाकरराम पि. अन्नाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार रहन-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिलाडा लिखमाराम पि. अन्नाराम के वारिसान 1 कुशाल पि. लिखमाराम 1/6, मुकेश पि. लिखमाराम 1/6, पपुडी पत्नि लिखमाराम 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार रहन-कुशाल, मुकेश, पपुडी का हिस्सा रहन- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिलाडा	9 10 13 14 15	1.5007 0.9870 0.0728 1.6180 1.4198
	कुल खसरा	5	5.5983
2	अमराराम पि. रूपाराम हिस्सा 9331/55983, उषा पुत्री भीयाराम हिस्सा 1749/55983, कुनाराम पि.सेणाराम हिस्सा 6998/55983, गेकुदेवी पत्नी सेणाराम 6998/55983,	8 9 14	1.4562 1.1043 1.6180

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

	छोटूराम पि. रूपाराम 9331/55983, जवरादेवी पुत्री भीयाराम 1749/55983, जोगाराम पि. रूपाराम 9331/55983, तुलसीदेवी पत्नी भीयाराम 1749/55983, मोतीराम पि. सेणाराम 6998/55983, लक्ष्मण पि. भीयाराम 1749/55983, जाति जाट सा.देह खातेदार रहन कुनाराम का हिस्सा यूको बैंक शाखा खारिया मीठापुर, रहन–छोटूराम का हिस्सा एक्सिस बैंक शाखा बिलाडा, रहन–जोगाराम का हिस्सा यूको बैंक शाखा खारिया मीठापुर, रहन–मोतीराम का हिस्सा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बिलाडा	15	1.4198
	कुल खसरा	4	5.5983
3	सभी खातेदारों का शामलाती वादी व प्रतिवादीगण किस्म गै.मु.बेरा	12	0.1214
	कुल खसरा	1	0.1214
4	अमराराम पि.रूपाराम 3668/44010, उषा पुत्री भीयाराम 687/44010, कुनाराम पि. सेणाराम 2751/44010, कुशाल पि. लिखमाराम 431/44010, गेकू देवी पत्नी सेणाराम 2750/44010, गोपाराम पि. मांगीलाल 9708/44010, छोटूराम पि. रूपाराम 3668/44010, जवरीदेवी पुत्री भीयाराम 687/44010, जोगाराम पि.रूपाराम 3668/44010, तुलसीदेवी पत्नी भीयाराम 688/44010, पपुडी पत्नी लिखमाराम 432/44010, भाकरराम पि. अन्नाराम 1294/44010, मुकेश पि. लिखमाराम 431/44010, मोतीराम पि. सेणाराम 2751/44010, रामूराम पि. मांगीलाल 9708/44010, लक्ष्मण पि. भीयाराम 688/44010 जाति जाट सा.देह खातेदार	46	4.4010
	कुल खसरा	1	4.4010
5	उषा पुत्री भीयाराम 1245/79687, कुनाराम पि. सेणाराम 4981/79687, कुशाल पि. लिखमाराम 54/79687, गेकुदेवी पत्नी सेणाराम 4980/79687, गोपाराम पि. मांगीलाल 19759/79687, जवरीदेवी पुत्री भीयाराम 1245/79687, तुलसीदेवी पत्नी भीयाराम 1245/79687, धापुदेवी पत्नी बगदाराम 13281/79687, पपुडी पत्नी लिखमाराम 54/79687, भतीया देवी पत्नी रमेश चौधरी 6641/79687, भाकरराम पि. अन्नाराम 162/79687, मुकेश पि. लिखमाराम 54/79687, मोतीराम पि. सेणाराम 4981/79687, रामूराम पि. मांगीलाल 19759/79687, लक्ष्मण पि. भीयाराम 1246/79687 जाति जाट सा.देह खातेदार रहन–कुनाराम, गोपाराम, धापुदेवी, रामूराम का हिस्सा यूको बैंक शाखा खारिया मीठापुर, रहन– कुशाल, पपुडी, भाकरराम, मुकेश का हिस्सा स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा बिलाडा, रहन–मोतीराम एचडीएफसी बैक लिमिटेड शाखा बिलाडा	11 16 17 18	1.1731 2.1358 2.0953 2.5645
	कुल खसरा	4	7.9687

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 18.11.2024 के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 18.11.2024 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/01/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

भाकरराम वगैराह — मोतीराम वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 35 / 2019

निर्णय **दिनांक** :– 07/01/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बीरमराम विश्नोई अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 2 से 9 की ओर से श्री जी.एल. कंसारा एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 10 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 18.11.2024 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — **मुबलिग** — **बाबत्** —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें।
बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि नर			फीस कमि नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा